

हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़

26 नवंबर 2024, समय 1810

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नागरिकों से अपने आचरण में संवैधानिक आदर्शों को आत्मसात करने का आग्रह किया है।
- राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अंगीकार की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह को संबोधित किया और न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट जारी की।
- हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि संविधान देश में न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्थापित करता है।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि, हरियाणा सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को आगे बढ़ा रही है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नागरिकों से 2047 तक विकसित भारत बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अपने बुनियादी कर्तव्यों और कार्यों को निभाने के लिए अपने आचरण में संवैधानिक आदर्शों को आत्मसात करने का आग्रह किया।

संविधान दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की एक जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज के रूप में व्याख्या की। राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किये जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम ने महिला सशक्तिकरण के नए युग को सृजित किया है। राष्ट्रपति ने वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के कार्यान्वयन और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देने तथा तीन नए आपराधिक कानूनों का ज़िक्र भी किया। उन्होंने इन ऐतिहासिक फैसलों के लिए सांसदों की सराहना की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने संविधान निर्मित करने में संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को याद किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान के अंगीकार की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। आज संविधान सदन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने मेकिंग ऑफ द काँस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया: ए ग्लिम्पस" और "मेकिंग ऑफ द काँस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एण्ड इट्स ग्लोरियस जर्नी पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। संस्कृत और मैथिली भाषाओं में संविधान जारी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान आर्ट ऑफ कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को समर्पित एक बुकलेट का भी अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेता, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भागीदारी की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संविधान वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है। श्री मोदी कुछ देर पहले सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में संविधान पूरी तरह लागू है, जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस भी मनाया गया है। उन्होंने देश में विभिन्न वर्गों के लिए किए गए जन कल्याण के कार्यों का जिक्र भी किया। श्री मोदी न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की।

कांग्रेस ने भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की 75वीं वर्षगांठ पर संसद के दोनों सदनों में विशेष चर्चा की मांग की है।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिन पार्टियों को जनता ने नकार दिया है, वे यह झूठ फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि 'संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को चुनाव में अपनी हार को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए।

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह हमारे देश में न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्थापित करता है। श्री दत्तात्रेय आज ओ.पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी पर संविधान की पवित्रता को बनाए रखने और उसे संरक्षित करने की बड़ी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थापित किए गए संविधान संग्रहालय की प्रशंसा

की और कहा कि ऐसे संग्रहालय की प्रतिकृति प्रत्येक राज्य व जिला में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय छात्रों व आम लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप अपनी सामाजिक और आर्थिक नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस व संविधान के अमृत महोत्सव की बधाई देते हुए कहा कि संविधान दिवस का मतलब देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों का एकीकरण करके स्वतंत्रता सेनानियों के अखण्ड भारत का सपना साकार किया था। उसी प्रकार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद -370 व 35-ए हटाकर अखण्ड भारत के अधूरे सपने को पूरा किया है। इससे एक विधान, एक निशान, एक संविधान और एक प्रधान का सपना साकार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 ए हटने से वहाँ के वाल्मीकि समाज को वोट का अधिकार मिला है।

श्री नायब सिंह ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान बनाने वाले सभी महानुभावों को नमन करते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जो “वी द पीपल” लिखा है, यह मात्र तीन शब्द नहीं हैं। यह वाक्य पूरे भारत के जनगण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एकता की अपील है, अखंडता की प्रतिज्ञा है और गणतंत्र में जन-जन के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। आज के युवाओं में संविधान की समझ और बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि वे संवैधानिक विषयों पर चर्चा का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा संविधान में जहां अधिकारों का उल्लेख है, वहीं कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। हमें कर्तव्यों और अधिकारों में संतुलन स्थापित करना होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित लोगों को संविधान की प्रस्तावना का संकल्प भी दिलाया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस समारोह के अवसर पर सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सिरसा, जींद, पानीपत, भिवानी, रोहतक, हिसार, अंबाला छावनी, फरीदाबाद सहित विभिन्न जिलों से भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं। विभिन्न

जिलों में हुए कार्यक्रमों में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों और विधायकों ने मुख्य अतिथियों के तौर पर शिरकत की।
